

11.03.2024 पत्रावली पेश हुई।

आधिवक्ता वादीया एवं वादीया अनुवास्था /
रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगवाई
गई बावजूद उसके कोई अस्थित नहीं। इसके
प्रतीत होता है कि वादीया एवं वकील
वादीया अपने दावे को लेकर गम्भीर
नहीं हैं अतः दावा अडम हानिये अडम
पैरवी में हुआ सार पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली फंसल सुमार छेक
नम्बर से कम की जाकर दालिल दफ्तार है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर
तहसील कि... कांन्जी सि... निह...
100

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर
तहसील कि... कांन्जी सि... निह...